भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3476

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 मार्च, 2026 को दिया जाना है

फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) हेतु निधि

+3476. डॉ. निशिकान्त दुबे :

श्री प्रवीण पटेल :

श्री दुलू महतो :

श्री विनोद लखमशी चावड़ा :

श्री आलोक शर्मा :

श्री प्रदीप कुमार सिंह :

श्रीमती हिमाद्री सिंह :

डॉ. राजेश मिश्रा :

श्री पी. पी. चौधरी :

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव :

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :

श्रीमती कमलजीत सहरावत :

श्री सुधीर गुप्ता :

डॉ. हेमांग जोशी :

श्री सुरेश कुमार कश्यप :

श्री शंकर लालवानी :

श्री माधवनेनी रघुनंदन राव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सभी 36 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यशील फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(ख) एफटीएससी योजना के अंतर्गत और निर्भया निधि से आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है, जिसका सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग किया गया है और यदि इनका पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, तो अल्प उपयोग का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार का यौन अपराध के मामलों में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालयों की संख्या बढ़ाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी), जिनमें विशिष्ट पोक्सो (पीओसीएसओ) न्यायालय भी सम्मिलित हैं, का विवरण **उपाबंध** में दिया गया है।

(ख) से (घ) : त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन निर्भया निधि के अंतर्गत किया गया है। विभाग द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को इसके सुचारु संचालन हेतु स्थापना से अब तक ₹1210.91 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधि का वितरण *केंद्रीय रूप से संपोषित स्कीम* (केंद्रीय अंश : राज्य अंश :: 60:40, 90:10) के पैटर्न पर किया जाता है, जिससे एक न्यायिक अधिकारी का वेतन, 7 सहायक कर्मचारियों का वेतन तथा दैनिक व्यय हेतु लचीले अनुदान की व्यवस्था की जाती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से व्यय विवरण प्राप्त होने के पश्चात निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष में ₹176.36 करोड़ की राशि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई है।

त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की संख्या स्कीम की स्वीकृति के समय निर्धारित की जाती है।

उपाबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों (एफटीएससी), जिनमें विशिष्ट पोक्सो न्यायालय भी सम्मिलित हैं (तारीख 31.01.2026 को यथास्थिति)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय	
		विशिष्ट पोक्सो न्यायालय सहित त्वरित निपटान__विशेष न्यायालय(एफटीएससी)	विशिष्ट पोक्सो न्यायालय
1	आंध्र प्रदेश	16	16
2	असम	17	17
3	बिहार	54	48
4	चंडीगढ़	1	0
5	छत्तीसगढ़	15	11
6	दिल्ली	16	11
7	गोवा	1	0
8	गुजरात	35	24
9	हरियाणा	18	14
10	हिमाचल प्रदेश	6	3
11	जम्मू -कश्मीर	4	2
12	कर्नाटक	30	16
13	केरल	55	14
14	मध्य प्रदेश	67	56
15	महाराष्ट्र	37	0
16	मणिपुर	2	0
17	मेघालय	5	5
18	मिज़ोरम	3	1
19	नागालैंड	1	0
20	ओड़िशा	44	23
21	पुडुचेरी	1	1
22	पंजाब	12	3
23	राजस्थान	45	30
24	तमिलनाडु	20	20
25	तेलंगाना	36	0
26	त्रिपुरा	3	1
27	उत्तराखंड	4	0
28	उत्तर प्रदेश	218	74
29	पश्चिमी बंगाल	8	8
	कुल	**774**	**398**

स्रोत : उच्च न्यायालयों द्वारा प्रदत्त आँकड़े
